भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ AUTHORITY
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
टेलिः 022-28294770/28294750, फैक्सः 022-28291754
ई-मेलः dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइटः www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

सार्वजनिक सूचना संख्या 04/ 2019

सं.सीप्ज़-सेज़/संपदा/टीपी/2006-07/वॉल्यू-II / 17227 दिनांक 28 अगस्त, 2019

विषयः- सूचना तथा सुझाव के लिए सीप्ज़ - सेज़ में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्थानों के आबंटन के संबंध में प्रस्ताव का मसौदा ।

सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण सेज़ अधिनियम तथा नियम के अधीन यूनिट स्थापित करने के लिए स्थानों के आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करने जा रहा है । तदनुसार, आवेदकों / इच्छुक पार्टियों की सूचना के लिए प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है जो इस प्रकार है ।

"सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण सीप्ज़ के अंदर सरकार के स्वामित्व वाले एसडीएफ में स्थानों / गालाओं के आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करता है । ऐसे उद्यमी जो सीप्ज़ - सेज़ में यूनिट स्थापित करने के इच्छुक हों तथा जो सेज़ अधिनियम / सेज़ नियम का अनुपालन करना चाहते हों, वे रत्न एवं आभूषण / इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर/कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर में यूनिट स्थापित करने के लिए स्थान हेतु अपने प्रस्ताव / आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । पट्टे पर नवीकरण के आधार पर 5 वर्षों के लिए जोकि इस कार्यालय द्वारा जारी एलओए के साथ सहविस्तारी होगा, स्थानों का विवरण नीचे दिया गया है । कृपया ध्यान रहे कि संयुक्त किए गए यूनिटों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है तथा संयुक्त स्थानों सहित 6 स्थानों के लिए (इनमें अलग - अलग यूनिट शामिल नहीं हैं) प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र.सं.	वर्तमान यूनिट संख्या	स्थान	निर्मित क्षेत्र (स्क्वा.मी. में)	संयुक्त किए जाने के पश्चात क्षेत्र (स्क्वा.मी. में)
1	45-सी	एसडीएफ - II	452	1052
	45-डी	एसडीएफ - II	60	
	46-ए	एसडीएफ - II	540	
2	63-ए	एसडीएफ - II	270	1080
	63-बी	एसडीएफ - II	270	
	62	एसडीएफ - II	540	
3	47	एसडीएफ - II	540	540
4	बेसमेंट - 3	एसडीएफ - VI	782	782
5	बेसमेंट - 4	एसडीएफ - VI	564	564
6	25 ए	एसडीएफ - I	498	892
	25 बी	एसडीएफ - I	102	

2. आवश्यक समर्थक दस्तावेज़ों के साथ प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए स्थान हेतु आवेदन निर्धारित फॉर्म - एफ में जोकि www.sezindia.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है, इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है ।

3. नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार 50 अंकों से प्रत्येक आवेदक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंकों के आधार पर यूनिटों के आबंटन की पात्रता निर्धारित की जाएगीः

(i) **अगले 5 वर्षों में परिकल्पित वृद्धि** **10 अंक**

(वृद्धि से तात्पर्य है 5 वर्षों में परिकल्पित निर्यात में वृद्धि । इसके लिए प्रत्येक वर्ष की वृद्धि की गणना की जाएगी तथा इसके आधार पर औसत वृद्धि निकाली जाएगी । निर्यात में वृद्धि प्रोजेक्ट करते समय आवेदक को समर्थक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे) ।

नमूनाः कोई यूनिट पहले वर्ष में 100/- रू., दूसरे वर्ष में 150/- रू., तीसरे वर्ष में 200/- रू., चौथे वर्ष में 175/- रू. तथा पांचवें वर्ष में 210/- रू. का निर्यात करता है, अतः उसकी वृद्धि क्रमशः 50%, 33.33% (-)12.5%, 10% होगी तथा 5 वर्षों की अवधि के दौरान इसकी औसत वृद्धि (20.20%) मानी जाएगी ।

(ii) **5 वर्षों में परिकल्पित रोजगार** **10 अंक**

(इसका अभिप्राय 5 वर्षों में आवेदक द्वारा परिनियोजित कर्मचारियों की संख्या है । इसके औसत की गणना प्रति स्क्वा.मी. के आधार पर की जाएगी । इसमें 5 वर्षों के दौरान सभी कर्मचारी (स्थायी तथा संविदागत) शामिल होंगे ।

नमूनाः कोई यूनिट 1000 स्क्वा. फीट स्थान के लिए आवेदन करता है तथा वह पहले वर्ष में 100, दूसरे वर्ष में 125, तीसरे वर्ष में 145, चौथे वर्ष में 160 तथा पांचवें वर्ष में 175 लोगों के लिए रोजगार प्रोजेक्ट करता है, तो उसका औसत रोजगार 695/5=139 होगा । इसका तात्पर्य है 7.19 स्क्वा. फीट के लिए एक (1) रोजगार ।

(iii) **5 वर्षों में परिकल्पित निर्यात** **10 अंक**

(इसका अभिप्राय है 5 वर्षों के दौरान आवेदक द्वारा किए जाने वाले निर्यात की मात्रा को क्षेत्र द्वारा विभाजित करके प्रति स्क्वा. मी. निर्यात का पता लगाना) ।

नमूनाः यदि कोई यूनिट 5 वर्षों की समय सीमा के दौरान 1000 स्क्वा. फीट गाला में 500 करोड़ रू. का निर्यात करना चाहता है, तो इसका अर्थ है 5 वर्षों के लिए प्रति स्क्वा. फीट 50 लाख रू. तथा प्रतिवर्ष 10 लाख रू. का निर्यात करना ।

(iv) **5 वर्षों में परिकल्पित निवेश** **10 अंक**

(आवेदकों को 5 वर्षों में प्रस्तावित कुल निवेश तथा प्रति स्क्वा. मी. निवेश के परिकलन का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा क्योंकि उपलब्ध क्षेत्र समान नहीं हैं । इस निवेश में केवल अवसंरचना, संयंत्र तथा मशीनरी को शामिल किया जाएगा । इसमें विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली कच्ची सामग्रियों तथा अन्य निविष्टियों की गणना नहीं की जाएगी । आवेदकों को अपनी वित्तीय क्षमताओं के दावों को सिद्ध करने के लिए आरक्षित तथा अधिशेष धनराशि, अनुमोदित ऋण, चुकौती आश्वासन पत्र तथा अन्य वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने होंगे) ।

नमूनाः मान लीजिए कोई यूनिट संयंत्र तथा मशीनरी में 2 करोड़ रू. का निवेश करना चाहता है तथा उसे अवसंरचना, आंतरिक सज्जा आदि में 2 करोड़ रू. तथा 1000 स्क्वा. फीट वाले गाला के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री हेतु 5 करोड़ रू. की आवश्यकता है । ऐसे मामले में उनके निवेश की गणना 4 करोड़ रू. ही मानी

जाएगी । इसका अर्थ है कि आवेदक ने 5 वर्षों में प्रति स्क्वा. फीट 40000/- रू. का ही निवेश किया है ।

4. **अतिरिक्त महत्वः** उपर्युक्त पात्रता मानदंड के अतिरिक्त आवेदकों से अनुरोध है निम्नलिखित विवरण भी दें जिन पर स्थान का आबंटन करते समय विशेष रूप से विचार किया जाएगा । **10 अंक**

(क) निर्यात के लिए प्राप्त आदेश की पुष्टि (इसके लिए दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करना है) ।

(ख) आवेदक नए विचार / प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके नया अथवा अभिनव उत्पाद तैयार करने की योजना बना रहा है ।

(ग) वर्तमान सीप्ज़ यूनिट अपने समूह / सहयोगी संस्था के पिछले 5 वर्षों के निर्यात निष्पादन तथा अन्य विवरण अवश्य प्रस्तुत करें ।

(घ) (रत्न / आभूषण अथवा इलेक्ट्रॉनिक) विनिर्माण क्षेत्र के निर्यात का अनुभव रखने वाले आवेदकों को इस क्षेत्र का अनुभव न रखने वाले आवेदकों की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी ।

5. डीटीए यूनिट के आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा ।

6. इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी तथा स्थान का आबंटन अनंतिम आधार पर किया जाएगा तथा यूएसी द्वारा प्रोजेक्ट का अनुमोदन किए जाने तथा एलओए जारी किए जाने के पश्चात अंतिम आबंटन किया जाएगा ।

7. स्थान आबंटित किए जाने वाले उद्यमियों को अनुमोदन पत्र प्राप्त करने की तारीख से 6 महीनों के अंदर उप-पट्टा करार निष्पादित करना होगा ।

8. परिसर का आबंटन किए जाने पर अपेक्षित स्थान के लिए वार्षिक किराया / सेवा प्रभार / बीएमसी कर का अग्रिम भुगतान करना होगा । यूनिटधारक को अन्य सभी प्रभारों का वास्तविक भुगतान करना होगा ।

उपर्युक्त मसौदे के संबंध में यदि कोई टिप्पणी / सुझाव हो, तो 10 सितंबर, 2019 के 5.00 बजे तक भिजवाएं ।

(प्रवीण चंद्र)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण

प्रतिः- सभी स्टेकधारक,
सीप्ज़ - सेज़